एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

एन्ट्रिक्स
ANTRIX

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

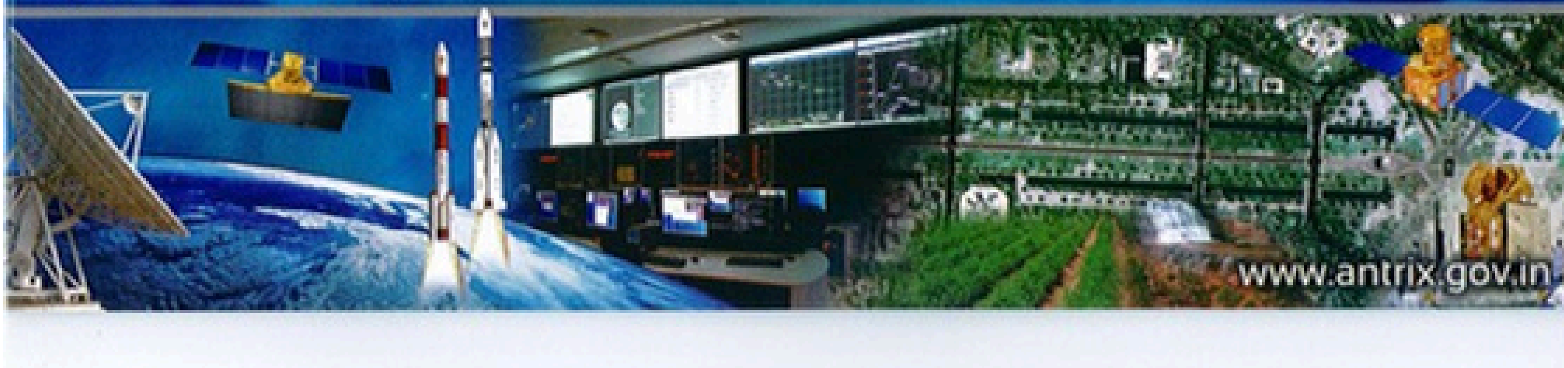

निदेशक मण्डल	डॉ. वी.एस.हेगडे श्री एस.श्रीनिवासन (6.6.2012 तक) डॉ. आर.आर.नवलगुंद (31.3.2012 तक) डॉ. टी.के.एलेक्स (30.6.2012 तक) श्री पी.एस. वीरराघवन डॉ. वी.के.डढवाल (6.6.2012से) डॉ एस.के. शिव कुमार (24.8.2012से) श्री रतन टाटा श्री जमशेद गोदरेज श्री पी.रवीन्द्र रेड्डी (11.6.2012तक)
प्रबन्धन दल:	
कार्यकारी निदेशक	श्री एस. परमेश्वरन
निदेशक (विशेष परियोजनाऐं)	श्रीमती गीता वरदन
निदेशक (व्यापार विकास)	श्री एस. परमेश्वरन
निदेशक (तकनीकी एवं सेवाऐं)	श्रीमती टी.एस.शोभा
उप निदेशक (व्यापार विकास)	श्री आर.एल.एन.मूर्ति (18.1.2012तक)
उप निदेशक (सुदूर संवेदन एवं आंकडा सेवाऐं)	श्री पी.एम. बालमणिका वेलु (30.1.2012से)
प्रधान, लेखा व आन्तरिक वित्त सलाहकार	श्री जी. अलगेसन
संवैधानिक लेखा परीक्षक	मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहली मंजिल, अन्नामलै आर्केड नं.45, 1क्रॉस, विल्सन गार्डन होसूर मेन रोड बेंगलूर - 560 027
बैंकर	केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्स्टें. शाखा बेंगलूर-560 080 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉलर कालोनी शाखा बेंगलूर 560 054
पंजीकृत कार्यालय	अन्तरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड के समीप बेंगलूर - 560 231

विषय सूची

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	1
राजभाषा	4
अ.जा / अ.ज.जा अनुपालन	4
सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र	9
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	12
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	14
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	16
तुलन - पत्र	17
लाभ तथा हानि लेखा	18
तुलन-पत्र का भाग निरूपित करते नोट	19
लाभ तथा हानि विवरण का भाग निरूपित करते नोट	24
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	27
लेखाओं का भाग निरूपित करते अन्य नोट	29
नकद प्रवाह विवरण	35

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

आपके निदेशक मण्डल को मार्च 31, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणी सहित बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी घोर प्रतिस्पर्धा तथा दबावों के बावजूद अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रही है। गत वर्ष की तुलना में, इस वर्ष का निष्पादन वृद्धि का रुझान दर्शाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी की आय 1180.60 करोड रु. थी, जो गत वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाती है। कर के बाद लाभ 170.98 करोड रु. था, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग/कार्पोरेट फ्रन्ट के रूप में आपकी कम्पनी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को मानवजाति के कल्याण हेतु उपयोग करने में लगी हुई है और राष्ट्र की अच्छी आर्थिक स्थिति तथा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। कम्पनी के अधिकांश क्रियाकलाप, आम जनता के जीवन को समृद्ध बनाने हेतु सम्पर्क-कड़ी तथा सूचना की दिशा में योगदान देने से संबंधित हैं। आपकी कम्पनी को आगामी वर्षों में भी अपना कार्य-निष्पादन बढ़ाने का विश्वास है।

निर्यात

हाईलास अन्तरिक्षयानों के लिए डब्ल्यू2एम तथा अवन्ति स्पेस के प्रचालन हेतु यूटेलसैट नामक ग्राहकों को आंतर-कक्षीय सहायता प्रदान की गई।

आई.आर.एस. से संबंधित क्रियाकलाप

आपकी कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भू प्रेक्षण आँकडा आवश्यकताओं को पूरा करती हुई उपग्रह आँकडा उत्पाद एवं आईआरएस समूह की डाऊनलिंक सेवाओं का सक्रिय रूप से विपणन कर रही है।

फिलहाल आपकी कम्पनी कार्टोसैट-2, कार्टोसैट-1 एवं ओशनसैट-2 उपग्रहों से उपग्रह आँकडा विक्रय एवं सेवाएँ प्रदान कर रही है। रिसोर्ससैट-1 उपग्रह के पहले से स्थापित ग्राहकों के लिए सेवा की निरंतरता हेतु रिसोर्ससैट-2 उपग्रह के आँकडों की माँग की जा रही है। रिसोर्ससैट-2 आँकडा उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार प्रभावशाली ढंग से विकसित किया गया है और कई संभावित ग्राहक भी कतार में है। हाल ही में प्रमोचित सूक्ष्मतरंग प्रतिबिंबन उपग्रह, रिसैट-1 में विभिन्न ग्राहकों को प्रदान करने हेतु बहुत संभावनाएँ है।

साथ ही, आपकी कम्पनी भू-आकाशीय सेवाओं का सक्रिय रूप से संवर्धन कर रही है, और उसने दो वेब जीआईएस परियोजनाएँ सफलतापूर्वक शुरू की हैं, जो कार्यान्वित की जा रही हैं।

आईआरएस समूह को विश्व-भर में भू प्रेक्षण आँकडा के विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है जिसकी, आश्वस्त निरंतरता मुख्य विशेषता रही है। इसके आँकडा उत्पादों की विविधता ने भी इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है। नये अन्तर्राष्ट्रीय भू केन्द्रों की स्थापना करने के अनुरोध भी प्राप्त हो रहे हैं।

प्रमोचन सेवाएँ

एन्ट्रिक्स ने इसरो के पीएसएलवी-सी16 मिशन के जरिये अप्रैल 2011 में सिंगापुर विश्वविद्यालय के एक्ससैट उपग्रह को सह-पैसेंजर नीतभार के रूप में कक्षा में स्थापित किया। इसी प्रकार अक्तूबर 2011 में इसरो के पीएसएलवी 18 मिशन द्वारा कनाडा के वेसेलसैट उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, एन्ट्रिक्स ने आगामी वर्ष के लिए प्रमोचन क्रम का एक प्रभावशाली बैकलॉग भी तैयार किया है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी ने दूरमिति, दूरादेश, अनुवर्तन, परासन और अन्य संबंधित सेवाओं को विश्व के प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करना जारी रखा है।

अन्तरण कक्षा सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) और अन्य कक्षीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु, इन्टेलसैट के साथ किए गए करार के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मिशनों की सहायता करने के लिए तैयार है। एमसीएफ, हासन में के.ए.बैण्ड भू केन्द्र को 107.1 डिग्री पश्चिम में एचएनएस जुपिटर (इकोस्टार XVII) उपग्रह के मिशन प्रचालन की सहायतार्थ उपयोग किया गया। एचएनएस जुपिटर एक के.ए.बैण्ड बहु स्पॉट बीम उपग्रह है जो ह्यूस नेटवर्क प्रणाली के स्वामित्व में है, जो, USA में उच्च गति वाली उपग्रह सेवाएँ प्रदान करता है।

इन भू केन्द्रों का उपयोग केसैट तथा सीएनईएस मिशनों हेतु दूरमिती, अनुवर्तन तथा कमाण्ड (टीटीसी) सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाता था। आपकी कम्पनी एमसीएफ एवं इस्ट्रैक में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों एवं अन्तरिक्ष एजेन्सियों के लिए टीटीसी तथा अन्य सहयोगी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विचार कर रही है।

उपग्रह प्रणालियाँ :

कम्पनी दो प्रकार के उपग्रह मंचों का विपणन करती रही है, जिनकी परम्परा सुस्थापित है। इन्सैट/जियोसैट कार्यक्रमों के लिए इसरो द्वारा आई. 2के, तथा आई. 3के. संचार उपग्रह मंच विकसित किये गये है। एस्ट्रियम के साथ गठबंधन में निर्यात हेतु दो उपग्रहों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के अनुसरण में, कम्पनी इस गठबंधन के कार्य-ढाँचे के अधीन अतिरिक्त अवसरों की तलाश में है।

दूर संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

उपग्रह प्रेषानुकर का बाजार अर्थ-व्यवस्था तथा वाणिज्य में प्रगति की दिशा में आगे रहा है। वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी सी-तथा के यू.बैण्ड में कई प्रेषानुकरों के साथ वी-सैट सम्पर्क कडी, वीडियो प्रसारण, डाइरेक्ट-टू-होम(डीटीएच), अंकीय टेलीविजन, इत्यादि सहित सेवाओं की व्यापकता की आवश्यता की पूर्ति करने के लिए इन्सैट उपग्रहों के समूह का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर रही है। बढती मुद्रास्फीति तथा सामान्य गिरावट के बावजूद, दूरदर्शन तथा प्रसारण संयोजकता के लिए माँग का बढ़ना जारी रहा है जो अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता की माँग बढ़ा रही है। प्रमुख प्रसारणकर्ताओं द्वारा उपग्रह टी.वी. चैनलों की वृद्धि से क्षेत्र में सी बैण्ड (वीडियो) दृश्य के लिए माँग के बढने की संभावना है। साथ ही, टेलीविजन के अंकीयकरण से, चाहे वह डीटीएच हो अथवा एचडीटीवी एवं 3डी जैसी उभरती सेवाओं सहित शीर्षान्त-आकाश-में (एचआईटीएस) मंचों के प्रत्याशित प्रमोचन हो, माँग के नये स्तरों तक क्षमता को बढ़ाने की प्रत्याशा है। देशभर में केबल प्रचालकों को सेवा प्रदान करने हेतु एचआईटीएस मंचों का विकास, सी-बैण्ड दृश्य सेवा से कुल माँग के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगा । वर्ष 2012 के दौरान, सी तथा के यु बैण्ड प्रषानुकरों के साथ जीसैट 10, एवं जीसैट-14 के योजित प्रमोचन अधिक क्षमता प्रदान करेंगे और इससे गतिशील अन्तरिक्ष सेवा बाजार को बढ़ावा देने की संभावना है।

आपसी दौरे

आपसी दौरे एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो पारस्परिक व्यापार के लाभों को बढ़ाने में सहायक होती है। वर्ष के दौरान, कई दौरे हुए, जिनमें, अन्तरिक्ष उद्योग के मंजे हुए खिलाड़ी शामिल थे। आपकी कम्पनी ने विविध एजेन्सियों के साथ अपने सहयोग को सुदृढ बनाने और उन्हें व्यापारिक अवसरों में परिवर्तित करने का प्रयास किया है।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)
कुल आय	118060.84	111358.35
कुल व्यय	93148.07	89686.16
मुल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**24912.77**	**21672.19**
अवधि पूर्व सामयोजन (निवल)		(64.48)
असामान्य आय		14.23
घटाए : मूल्य ह्रास	9.69	(12.24)
घटाए : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	420.81	(272.09)
घटाए : कर निर्धारण के लिए प्रावधान	7610.00	(6,916.00)
जोडिए : आस्थगित कर	118.56	72.34
पिछले वर्षो में आयकर हेतु कम/अधिक प्रावधान	107.54	671.63
वर्तमान वर्ष का अधिशेष	17,098.37	13,886.80
जोडिए : पिछल वर्ष का अधिशेष	40.01	38.59
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**17,138.38**	**13,925.39**
जनरल रिजर्व को स्थानांतरित	13160.00	10646.00
प्रस्तावित लाभांश	3420.00	2778.00
कार्पोरेट लाभांश कर	554.81	461.39
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	3.57	40.00
पुनर्विनियोजन का कुल	**17,138.38**	**13,925.39**

लाभांश

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), के दिनांक 17.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/1(16)-ई।।(ए), दिनांक 20.08.1998 के का.ज्ञा.सं.एफ.19(1)-ई-।।(ए)/98 तथा दिनांक 13.06.2001 के सं.एफ.3(2)-बी(एस)/2001 और दिनांक 9.9.2002 के अ.शा.प.सं.3(67)-बी(एस)/2002 और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.06.2004 के सं.एफ.3(2)-बी(एस)/2003 और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक मई 19, 2005 के सं.एफ.3(355)-बी(एस)/2005 अ.शा.पत्र सं.3(3)बी(एस)/2005 द्वारा जारी किये गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपका निदेशक मण्डल 100 लाख रुपये की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी पर 3420% (पिछले वर्ष 2778%) के लाभांश की सिफारिश करता है। यह मार्च 31, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ का 20% दर्शाता है।

भावी परिदृश्य

विश्व-भर में आर्थिक विकास में कमी होने के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2013 में 7.5% अधिक रहने की संभावना है और यह बड़ा ही उत्साहजनक है। आपकी कम्पनी उपलब्ध अवसरों का अच्छा लाभ उठाने के लिए अपने आपको तैयार कर रही है । कम्पनी नए अवसरों को खोज कर रही है जिन्हें वह और विकसित कर व्यापार के सफल नमूनों में परिणत कर सके । उपग्रह संचार सेवाओं का प्रावधान एक प्रमुख खण्ड है, जिसमें सार्वभौमी विकास की संभावना है। भारत में मूल्य वर्धित भू आकाशीय सेवा के क्षेत्र में अवसर खोजने की कम्पनी की योजना है। कंपनी विदेशी ग्राहकों के लिए पिग्गी बैक मोड में प्रमोचन मिशन हेतु प्रमोचन सेवा प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रही है। आपकी कम्पनी इन चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफल कामों में परिणत करने के लिए आश्वस्त है।

निदेशक :

श्री व.वे.भट्ट, दिसम्बर 9, 2011 से निदेशक नहीं रहे। श्री एस. श्रीनिवासन, अपर सचिव, अन्तरिक्ष विभाग को जून 6, 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ.वी.के.डढवाल, निदेशक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र को जून 6, 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ.एस.के.शिवकुमार, निदेशक, आईजैक को अगस्त 24, 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. आर.आर.नवलगुंद, निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रैल 1, 2012 से निदेशक नहीं रहे। श्री पी.रवीन्द्र रेड्डी, जून 11, 2012 से निदेशक नही रहे। डॉ टी.के.अलेक्स निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप, जुलाई 1, 2012 से निदेशक नहीं रहे। आपके निदेशक मण्डल ने श्री व.वे.भट्ट, डॉ आर.आर. नवलगुद, श्री पी.रवीन्द्र रेड्डी, तथा डॉ.टी.के. अलेक्स द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में बहुमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की ।

निदेशक मण्डल की जिम्मेदारियों का विवरण :

निदेशक मण्डल की जिम्मेदारियों के विवरण के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में, सामग्रियों की रवानगी के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानक लेखा विधि का अनुसरण किया गया है :

(ii) निदेशक मण्डल द्वारा ऐसी लेखा विधि नीतियों का तर्क संगत चयन किया गया है और उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया गया है और आकलन तथा निर्णय को इस तरह तैयार किया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि के बारे में सच्ची और सही जानकारी दें :

(iii) निदेशक मण्डल ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व धोखा और अन्य विषमताओं को रोकने और उनका पता लगाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानें के अनुसार पर्याप्त लेखा विधि रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बर्ती है।

(iv) निदेशक मण्डल ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा "जारी मामले" के आधार पर तैयार किया है।

पुरस्कार एवं सम्मान :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी को निम्नलिखित पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुए :

1. सेवा कर संबंधी मामलों के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए वर्ष 2010-11 के लिए बेंगलूर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल के तहत उत्कृष्ठ राजस्व निष्पादन के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से सम्मान पत्र ।

2. ईईपीसी भारत, दक्षिण क्षेत्र द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान इंजीनियरी निर्यात में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मर्चेण्ट एक्सपोर्टर के रूप में शीर्ष निर्यातक के लिए रजत ट्रॉफी ।

कार्पोरेट शासन :

आपकी कम्पनी भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप कार्पोरेट शासन पद्धति कार्यान्वित करने पर जोर देती है। इस बात पर दृढ़तापूर्वक विश्वास किया जाता है कि यह अधिक पारदर्शिता लाने, बेहतर शासन तथा सभी स्टेक-धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा।

लेखा परीक्षक :

भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के पत्र सं.सी.ए.वी/सी ओ.ए.वी/सी ओ.वाई/केन्द्र सरकार एन्ट्रिक्स(1)/(613) द्वारा मेसर्स चार्टर्ड अकाउण्टेंटस, बेंगलूर को 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने हेतु वैधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। दिनांक 15.01.2012 की उनकी रिपोर्ट संलग्न है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत, दिनांक 17.09.2012 के पत्र सं.64-पीडीसीएस/एचएस/एमएबी-IV/ए/सीएस/एन्ट्रिक्स/12-13/1473 द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने दिनांक 30 जुलाई, 2012 के पत्र सं.सी.ए.वी./सी.ओ.वाई/केन्द्र सरकार एन्ट्रिक्स(1) (102) द्वारा मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, बेंगलूर को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के वैधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र :

श्री वी.पद्मनाभन, कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सावधिक जमा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण :

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति एक थी। समूह 'क' (तकनीकी), समूह क (प्रशासनिक) तथा समूह ग (प्रशासनिक) में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 3,6 तथा 2 थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम :

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियन 1956 की धारा 217(1)(ई) के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

आपकी कम्पनी, जो अब तक इसरो के मुख्यालय भवन से कार्य कर रही थी, अब, एक नये कम्पनी कार्यालय से कार्य करने लगी है, जो कि कम्पनी की हरित पहल का एक अंग है।

राजभाषा कार्यान्वयन :

भारत सरकार की नीति के अनुसार, आपकी कम्पनी ने सभी स्तरों पर राजभाषा के प्रयोग की दिशा में सक्रिय प्रयास किये हैं।

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने कर्मचारियों को आवश्यक भाषा कौशल प्राप्त कराने हेतु और इस तरह, राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा की आय और निर्गम (वास्तविक) की स्थिति निम्न प्रकार है :

विदेशी मुद्रा की आय	राशि लाख रुपये में (₹)	राशि विदेशी मुद्रा में	
क) निर्यात की बाबत	140.71	यू.एस.$	39,427.50
		यूरो	189,525.77
ख) तकनीकी परामर्शिता की बाबत	1,850.65	यू.एस.$	4,031,655.71
ग) अन्य सेवाओं की बाबत	1,144.18	यू.एस.$	21,60,135.08
		यूरो	4,39,291.38
कुल	**3,135.54**		
विदेशी मुद्रा का निर्गम	**राशि लाख रुपये में (₹)**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
क) यात्रा की बाबत	35.19	यू.एस.$	73,266.15
		यूरो	3680.00
ख) आयात की लागत की बाबत	136.38	यू.एस.$	174,877.60
		यूरो	3,233.94
ग) तकनीकी परामर्शिता की बाबत	34,389.66	यू.एस.$	6,31,46,146.29
		यूरो	78,33,734.45
घ) अन्य सेवाओं की लागत की बाबत	4.96	यू.एस.$	7,920.00
		यूरो	1,354.57
कुल	**34,566.19**		

आभारोक्ति

आपके निदेशक, अपने उत्पाद एवं सेवाओं के ग्राहक तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशक, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा की गई हार्दिक सहायता एवं योगदान, जिसने आपकी कम्पनी के सफल कार्यों की दिशा में अत्यधिक योगदान दिया है, के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए
और की ओर से

हस्ता/-

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 20.09.2012

(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

मार्च 31, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

संवैधानिक लेखा परीक्षा की टिप्पणी	प्रबन्धन का उत्तर
हमारी लेखा परीक्षा की समाप्ति तथा 30.08.2012, को लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद, नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के लेखा परीक्षक के दल ने केन्द्र सरकार द्वारा अपने संवैधानिक क्षमता में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार, ठेके को रद्द करने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर, पेरिस (आई.सी.सी.) के समक्ष मेसर्स देवास मल्टिमीडिया द्वारा किए दावे के संबंध में 1.60 बिलियन यू.एस. डालर (7,004.80 करोड रुपए) की आकस्मिक देयता को प्रकट करने में की गई भूल को दर्शाया है। हम नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के विचारों से सहमत हैं।	आकस्मिक देयता पर संवैधानिक लेखा-परीक्षा के प्रेक्षण पर कम्पनी ने आई.सी.सी. के तहत मध्यस्थता के लिए सहमति नहीं दी क्योंकि कम्पनी के विचार में, आई.सी.सी. के समक्ष मेसर्स देवास द्वारा कार्यवाही की पहल, करार के अनुसार नहीं है। अत: कम्पनी ने करार के तहत प्रावधान के अनुसार, मध्यस्थता की कार्यवाही की अपील की और मेसर्स देवास को दिशा निदेश देने हेतु भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की। मामला न्यायाधीन है। चूंकि इसमें होने वाले व्यय की संभावना बहुत कम है,अत: लेखा में उपरोक्त दावे को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है।

कर के पश्चात लाभ करोड़ रुपयों में

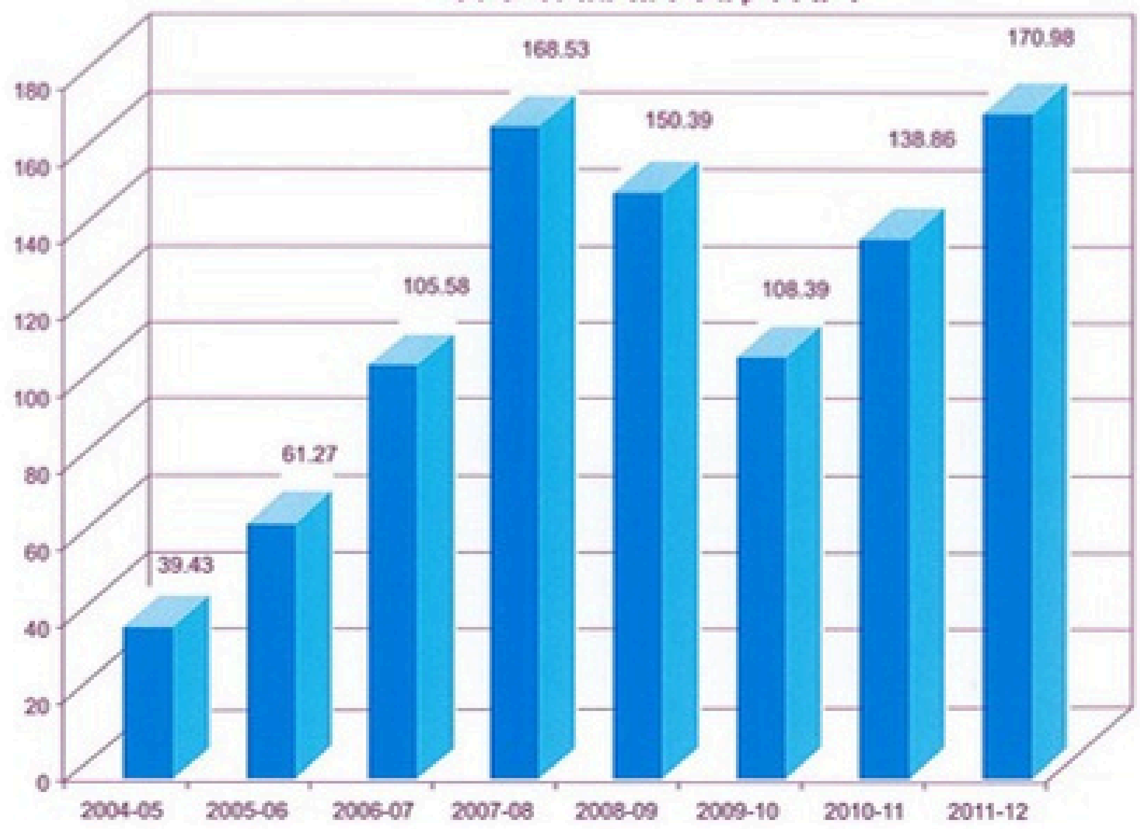

प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में लाभांश

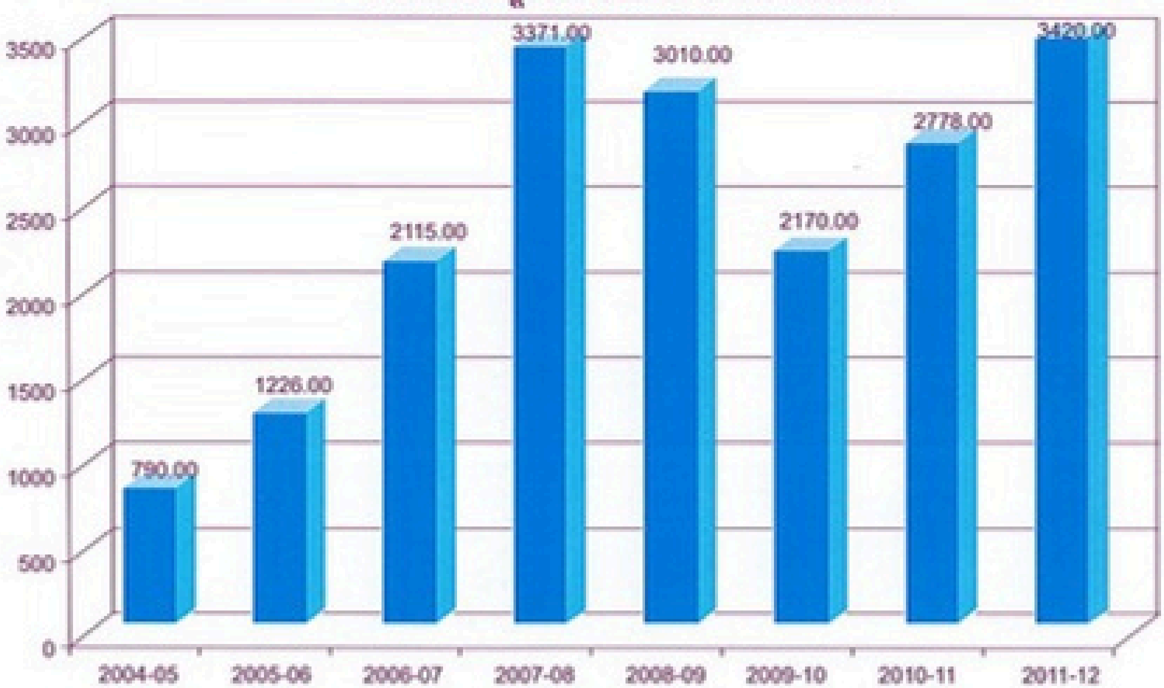

राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय

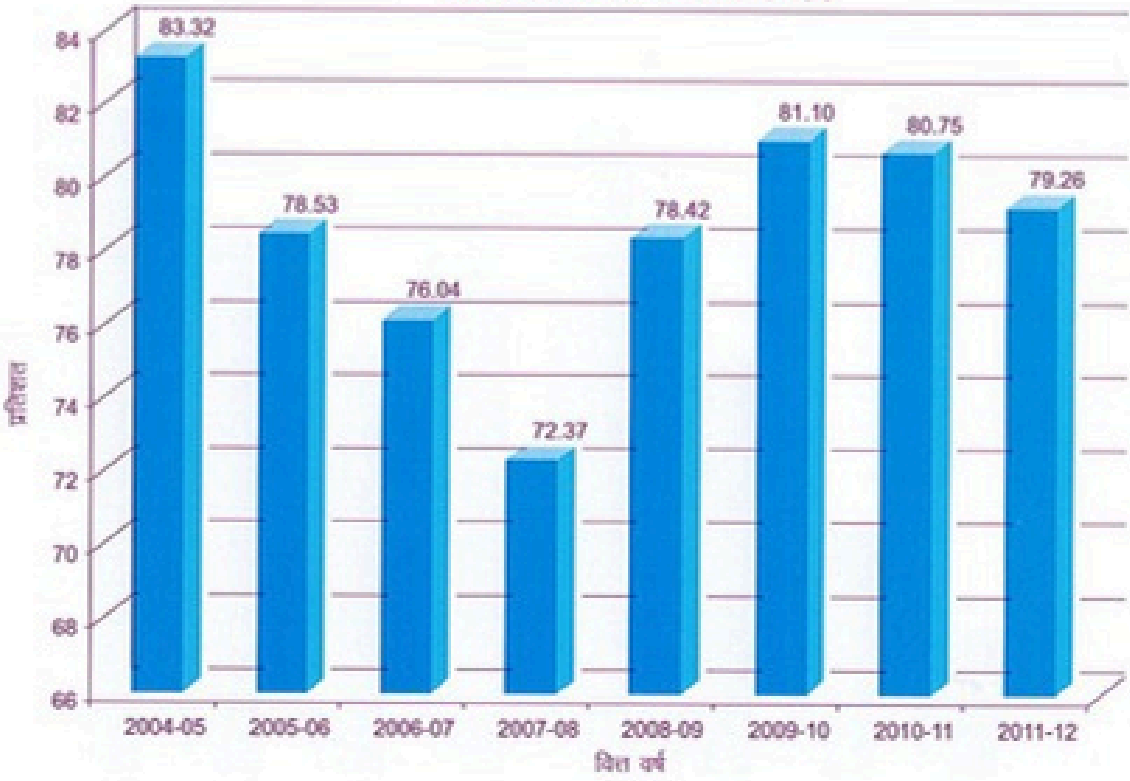

प्रदत्त पूँजी के प्रति रूपये का निवल मूल्य (रुपयों में)

अनुपालन प्रमाण-पत्र

पंजीकरण सं. : U85110KA1992PTC013570
प्राधिकृत पूंजी : रु 5 करोड़
प्रदत्त पूंजी : रु 1 करोड़

सेवा में,
सदस्य
एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड के पास
बेंगलूर-560231

मैंने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित रजिस्टर, रिकार्ड, पुस्तकें और कागजात तथा उसके तहत बनाये गये नियम और कम्पनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियम में निहित प्रावधानों की जाँच की है। मेरी राय और जानकारी में और मेरे द्वारा की गई जाँच के अनुसार और कम्पनी द्वारा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त वित्त वर्ष के संबंध में :

1. कम्पनी द्वारा इस प्रमाण-पत्र के अनुबंध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टर अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार रखे गये हैं और सभी प्रविष्टियाँ उनमें विधिवत् रिकार्ड की गई हैं ।

2. कम्पनी ने, इस प्रमाण्-पत्र के अनुबंध 'ख' में उल्लिखित फार्म एवं रिटर्न (रिपोर्ट) को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित समय के भीतर विधिवत् जमा कराई हैं ।

3. यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है । इसके पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूँजी है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या दो थी और जाँचाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने
   i) अपने शेयर अथवा डिबेंचर खरीदने हेतु लोगों को आमंत्रित नहीं किया; और
   ii) न ही कोई जमा आमंत्रित अथवा स्वीकार की है ।

4. निदेशक मण्डल की 17 दिसम्बर, 2011 एवं 24 मार्च, 2012 को विधिवत् दो बैठकें आयोजित की गई और इन बैठकों के संबंध में सूचनाएँ दी गई थीं तथा किये गये संकल्पों सहित बैठक की कार्यवाहियों को सही ढंग से रिकार्ड किया गया और इस उद्देश्य हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तक में हस्ताक्षर किये गये ।

5. कम्पनी को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सदस्यों अथवा डिबेंचर की रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था ।

6. 31.3. 2011 को समाप्त वित्त वर्ष की महा सभा की बैठक कम्पनी के सदस्यों को विधिवत् सूचित करते हुए 29 दिसम्बर, 2011 को हुई और बैठक में लिये गये संकल्पों को, इस हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तक में विधिवत् दर्ज किया गया ।

7. वित्तीय वर्ष में कोई असाधारण महासभा नहीं बुलाई गई ।

8. कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के नाते, उस पर दि.16.7.1985 की सरकारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.581 (स्था.) के द्वारा अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती ।

9. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 में विनिर्दिष्ट संविदाओं के संदर्भ में, उक्त धारा के अंतर्गत आने वाली किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

10. अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में कम्पनी को कोई प्रविष्टी कराना अपेक्षित नहीं था ।

11. चूंकि अधिनियम की धारा 314 की परिधि में आने वाली कोई घटना नहीं हुई, कम्पनी ने निदेशक मण्डल, सदस्यों अथवा केन्द्र सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की है ।

12. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर प्रमाण-पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की है ।

13. कम्पनी ने:
    i) वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हस्तांतरित की है।
    ii) घोषित लाभांश की राशि, इस उद्देश्य हेतु खोले गये एक अलग बैंक खाते में जमा करा दी है और यह लाभांश की राशि ऐसे लाभांश के घोषित होने के दिनांक से पाँच दिनों के अंन्दर जमा कराई है ।

iii) घोषणा के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अंदर सभी सदस्यों को लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

iv) कम्पनी को अप्रदत्त लाभांश, वापस देने योग्य धन, देय जमा, देय डिबेंचर और उस पर प्राप्त ब्याज जिनका कि अभी तक दावा नहीं किया गया, या जिनका निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को सात वर्ष की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया हो, के आवेदनों के लिये कोई धन-राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी कोई राशि कम्पनी के पास नहीं है ।

v) अधिनियम की धारा 217 के अपेक्षित प्रावधानों का विधिवत् अनुपालन किया है ।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है और रिक्तियों को भरने हेतु निदेशकों, अपर निदेशकों, वैकल्पिक निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्ति विधिवत् की गई हैं ।

15. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया है।

16. वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने कोई एकल-विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है ।

17. कम्पनी ने अतिरिक्त आँकड़ों के प्रकाशन के संबंध में अधिनियम के भाग II, अनुसूची VI के प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।

18. अधिनियम तथा उनके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसारण में निदेशकों ने अन्य फर्मों/कम्पनियों में अपनी अभिरुचि निदेशक मण्डल के सामने प्रकट की है ।

19. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी शेयर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं ।

20. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदे हैं ।

21. वित्तीय वर्ष में किसी भी अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर के प्रति क्षतिपूर्ति नहीं की गई ।

22. ऐसे कोई, लेन-देन नहीं हुए कि कम्पनी को लाभांश के अधिकार, शेयर के अधिकार को स्थगित रखने तथा बोनस शेयरों के शेयर हस्तांतरण के पंजीकरण लंबित रखने की कोई आवश्यकता पड़े ।

23. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के प्रावधानों के अधीन आने वाले किसी भी असुरक्षित ऋण सहित किसी भी प्रकार की जमा न आमंत्रित की है न ही स्वीकार की है ।

24. वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा उधार पर ली गई राशि कम्पनी की उधार सीमा के अन्दर ही है।

25. कम्पनी ने किन्हीं अन्य कार्पोरेट निकायों से किसी भी प्रकार का ऋण एवं निवेश अथवा अग्रिम न लिया है और न ही कोई गारंटी या कोई प्रतिभूति दी है, और परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु रखी रजिस्टर में कोई प्रविष्टी नहीं की गई है ।

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे में अवस्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है ।

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है ।

28. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है ।

29. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी की शेयर पूँजी के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है ।

30. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने संस्था के अंतर्नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

31. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के विरुद्ध कोई दण्ड लागू नहीं किया गया या कम्पनी ने कोई 'कारण बताओ' नोटिस प्राप्त नहीं की और न ही कम्पनी पर कोई जुर्माना या अर्थदंड अथवा किसी तरह का कोई दण्ड लगाया गया था ।

32. वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की है।

33. कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिये किसी न्यास की स्थापना नहीं की है और इसलिये अधिनियम की धारा 418 के अनुसार निर्धारित प्राधिकरण में भविष्य निधि में नियोक्ता की जमा और कर्मचारियों के अंशदान का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक : 30 अगस्त, 2012
स्थान: बेंगलूर

हस्ता/-
बी.पद्मनाभन
सी.पी. सं.6283

अनुबन्ध क

संवैधानिक पंजियाँ

1. धारा 150 के तहत सदस्यों की पंजी
2. धारा 193 के तहत मण्डल की कार्यवृत्त पुस्तक
3. धारा 193 के तहत महासभा की कार्यवृत्त पुस्तक
4. धारा 303 के तहत निदेशकों की पंजी
5. धारा 372ए के तहत निवेश की पंजी
6. धारा 301 के तहत संविदाओं की पंजी

अन्य पंजियाँ

1. निदेशकों की उपस्थिति पंजी
2. हस्तांतरणों की पंजी

अनुबन्ध ख

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक के पास कम्पनी द्वारा दायर किये गये फार्म और रिटर्न

क्र.सं.	दर्ज दस्तावेज	धारा	घटना का उद्देश्य तथा दिनांक	दर्ज कराने का दिनांक	पावती सं.	क्या समय पर भरे गये
1	फार्म 32	303	डॉ. वी. जयरामन का निदेशक पद से त्यागपत्र	24.05.11	बी12697702	हाँ
2	फार्म 32	303	डॉ. वी.एस. हेगडे की प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा डॉ. के राधाकृष्णन का निदेशक पद से त्यागपत्र	04.08.11	बी17603283	हाँ
3	फार्म 23 एसी	220	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा	31.12.11	पी84305341	हाँ
4	फार्म 66	383ए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र	29.12.11	पी84081793	हाँ
5	फार्म 20 बी	159	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरण	31.12.11	पी84305077	हाँ
6	फार्म 32	303	श्री बी.वी. भट्ट का निदेशक पद से त्यागपत्र	29.12.11	बी28442119	हाँ

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
मेसर्स्.एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
बेंगलूर

1. हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी की भी लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने, भारत में सामन्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा यह है कि क्या आर्थिक दृष्टि से गलत विवरण से वित्तीय विवरण मुक्त हैं के बाद में तार्किक आश्वासन देने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना कर, उसे संपन्न करें। लेखा-परीक्षा में, परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों में बताई गयी राशि के समर्थन में साक्ष्य की जाँच शामिल है। लेखा परीक्षा में, उपयोग किये गये लेखा-विधि सिद्धांत और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों के मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे विचारों के लिए एक तार्किक आधार प्रदान करती है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अनुसार भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (2004 यथासंशोधित) एवं कम्पनियों द्वारा संशोधित (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) की अपेक्षानुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध में विवरण संलग्न किया है।

4. आगे, उपरोक्त अनुबंध में विनिर्दिष्ट हमारी टिप्पणियों के बारे में हमें यह कहना है कि:

   (i) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उन सभी जानकारियों और स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   (ii) हमारे विचार में, लेखा पुस्तकों की जाँच से देखा गया है कि कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बही को रखा है।

   (iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखापुस्तकों से सामंजस्य रखते है।

   (iv) हमारे विचार में, इस रिपोर्ट में दर्शाए तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार है।

   (v) 31 मार्च, 2012 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मण्डल द्वारा किए गये रिकार्ड के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा के खण्ड (जी) के अनुसार 31.03.2012 को किसी भी निदेशक को निदेशक नियुक्त करने से अनर्ह नहीं किया गया है।

5. ***हमारे लेखा परीक्षा की समाप्ति तथा 31.08.2012 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के समय, केन्द्र सरकार द्वारा अपने प्रभुत्वसंपन्न क्षमता के आधार पर नीति निर्णय के अनुसार संविदा को रद्द करने पर अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक चैंबर, पेरिस (आई.सी.सी.) के समक्ष मेसर्स देवास मल्टिमीडिया द्वारा किए गए दावे के संबंध में यू.एस.डी. 1.60 बिलियन (₹1,004.80 करोड) के लिए आकस्मिक देयता को प्रदान करने के बारे में सी व एजी लेखा परीक्षा दल ने भूलचूक दर्शायी है, इस सी व ए.जी.के दृष्टिकोण से हम सहमत हैं।***

6. ***आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है:***

   i. ***नोट सं 8 व 9 रु 374.21 करोड के विवादास्पद के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. के संबंध में है।***

   ii. ***नोट सं.10 के 1.06 करोड रुपए विवादास्पद सेवा कर के संदर्भ में है।***

   iii. ***नोट सं. 18 - विविध कर्ज़दार, विविध लेनदार, अग्रिम वसूली एवं अन्य देयताओं की शेष पुष्टि की अनुपलब्धता के बारे में।***

iv. नोट सं. 19 - अन्तरिक्ष विभाग को देय राशि व भुगतान की गई राशि के बीच गैर-समायोजन के संदर्भ में।

7. *मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ तय किए गए ठेके के अनुसार नियत तारीख के अंदर पूर्ण प्रचालनीय उपग्रह को पट्टे पर देने की क्षमता में असफल होने पर तुलन-पत्र की तारीख में विलंबित सुपुर्दगी जुर्माना के रूप में यूएस $ 5 मिलियन (21.89 करोड रुपए) की निर्धारित क्षति के लिए उत्तरदायी होने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबन्धन की राय में वर्तमान में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामला न्यायाधीन है तथा इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।*

8. हमारे विचार और हमें प्राप्त सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर तथा हमारे
   i. उपरोक्त पैरा 3 के निर्दिष्ट अनुबन्ध में दिए गए प्रेक्षण;
   ii. उपरोक्त के पैरा में दी गई टिप्पणी जिनका, लाभ, रिजर्व, परिसंपत्ति तथा देयता पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार, उपरोक्त लेखा जैसा कि आवश्यक हो, के आधार पर उपरोक्त लेखा भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं सही जानकारी देते हैं।

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2012 को कम्पनी के आंतरिक मामले में।

(ख) लाभ एवं हानि के विवरणी के मामले में, उस तारीख में वर्ष की समाप्ति पर लाभ के मामले में।

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के नकद प्रवाह की नकद प्रवाह विवरणिका के मामले में।

कृते **ज्ञानोबा व भट्ट**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं. 000939s

हस्ता/-
(के.आर. ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15.09.2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

हमारे पैरा 3 के संदर्भ में समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट ।

i. क) कम्पनी परिमाणात्मक विवरण तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शानेवाली स्थाई संपत्ति पंजी को अद्यतन कर रही है।

ख) हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रशासन द्वारा इन स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई है । जाँच-पड़ताल के समय कोई सामग्री विसंगतियाँ नही देखी गयी।

ग) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी स्थायी परिसंपत्ति के किसी भाग का निपटान नहीं किया है और इसलिए अतः यह खण्ड लागू नहीं होता।

ii. कम्पनी के पास कोई सम्पत्ति सूची नहीं है। अतः खण्ड (ii) (क) (ख) व (ग) लागू नहीं होते हैं।

iii. कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचित कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से, न ही सुरक्षित/असुरक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है। अतः, इस खण्ड के अधीन आनेवाले मामलों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

iv. हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों के क्रय तथा माल की बिक्री के संबंध में कम्पनी के स्वरूप तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली विद्यमान है।

v. हमें दी गयी सूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि करने योग्य कोई लेन-देन नहीं हुआ है। अतः खण्ड (v) (बी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vii. हमारे विचार में, कम्पनी के पास कम्पनी के स्वरूप तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

viii. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत का रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया है।

ix. क) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टिकरण के अनुसार, लेखा-परीक्षा के वर्ष के दौरान भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं:

ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, उपकर की कोई देयता नहीं है, जिहें किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।फिरभी, 01.04.2005 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के-वी.ए.टी एवं सी.एस.टी. के संबंध में जो 373.21 करोड रुपए का कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माँग की गई थी, वह विवाद के अधीन है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन लम्बित है। दंड सहित 1.06 करोड रुपए के सेवा कर के लिए बडे कर भुगतान करो वाले युनिट द्वारा उठाई गई माँग को सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर के समक्ष अपील की गई है, जिसे लेखा नोट सं. 10 के अन्य नोट के भाग में विस्तृत रूप से दिया गया है।

x. 31.03.2012 के अनुसार, कम्पनी में कोई संचयित हानि नहीं हुई और कम्पनी को हमारे लेखा-परीक्षाधीन वित वर्ष व पिछले वित वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xi. कम्पनी पर किसी भी वितीय संस्था एवं बैंक का कुछ भी बकाया नहीं है।

xii. कम्पनी ने शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखते हुए कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं दिया है।

xiii. हमारे विचार से कम्पनी चिट फंड या एक निधि या एक पारस्परिक लाभ निधि/ /सोसाइटी नही है। अतः, कम्पनी पर खंड (xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xiv. कम्पनी किसी भी तरह के शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर तथा अन्य निवेश के सौदे या व्यापार नहीं कर रही है।

तदनुसार, खण्ड (xix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते है।

xv. हमे दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi. हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई आवधिक ऋण नही लिया है।

xvii. हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान, अल्पावधि निधि प्राप्त नहीं की है और न ही दीर्घावधि निवेश हेतु उसका उपयोग किया है अथवा न इसका विपरीत।

xviii. वर्ष के दौरान कम्पनी ने अधिमान रुप मे किसी शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

xix. कम्पनी ने न कोई डिबेंचर जारी किया है।

xx. वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा निधि का अर्जन नहीं किया है।

xxi. हमारे लेखा परीक्षा के दौरान दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी के साथ कोई धोखा नहीं देखा या पाया गया है।

कृते **ज्ञानोबा व भट्ट**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं. 0009395

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15.09.2012

हस्ता/-
(के.आर. ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यत्व सं.23137

दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लि., बेंगलूर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वितीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट वितीय रिपोर्टिंग कार्य ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांवैधानिक लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा विधि और आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत् इन वितीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। उनके दिनांक 15.09.12 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वितीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागज़ात प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और प्राथमिक रूप से यह संवैधानिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और चयनित कुछ लेखाविधि रिकार्डों तक ही सीमित है।

लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत् सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक में कोई ऐसी बात जिस पर टिप्पणी की जाए, मेरी जानकारी में नहीं आई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 17.09.2012

हस्ता/-
(जॉन के सेल्लेट)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

वित्त संबंधी ब्यौरेवार

31 मार्च 2012 के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	नोट सं	आँकड़े रुपयों में	
		31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
I. इक्विटी व देयता:			
(1) शेयरधारियों की निधि:			
(क) शेयर पूँजी	क	1,00,00,000	1,00,00,000
(ख) रिज़र्व तथा अधिशेष	ख	800,38,57,039	669,15,00,612
(2) दीर्घकालीन देयता:			
(क) अन्य दीर्घकालावधि देयताएँ	ग	1180,13,08,364	1008,39,88,769
(ख) दीर्घकालावधि प्रावधान	घ	16,96,237	10,88,451
(3) चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) व्यापार देय		228,42,35,322	165,87,33,631
(ख) अन्य चालू देयताएँ	ङ	228,92,11,967	310,56,45,818
(ग) अल्पावधि प्रावधान	च	39,76,03,195	32,39,39,107
जोड		**2478,79,12,124**	**2187,48,96,388**
II. परिसम्पत्ति:			
(1) अस्थगित परिसंपत्ति:			
(क) स्थायी परिसंपत्ति			
(i) मूर्त परिसंपत्ति	छ	35,82,084	36,21,695
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	ज	1,90,332	3,17,220
(iii) पूँजीगत चालू कार्य		13,81,51,966	6,49,99,315
(ख) दीर्घकालीन निवेश	झ		25,00,00,000
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति		10,21,64,949	9,03,08,931
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	ञ	673,32,58,339	593,12,17,525
(2) चालू परिसंपत्तियाँ:			
(क) चालू निवेश	ट	236,95,54,244	175,05,19,012
(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	ठ	425,17,51,538	307,90,41,923
(ग) नकद एवं नकद के समान	ड	989,03,51,065	967,65,47,646
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	ढ	52,75,54,878	57,70,98,887
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	ण	77,13,52,729	45,12,24,234
जोड		**2478,79,12,124**	**2187,48,96,388**
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	त		
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	थ		

नोट क सं थ तक इस तुलन पत्र के अनिवार्य भाग हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(पी.एस.वीरराघवन)
निदेशक

हस्ता/
(पी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 30.08.2012

स्थान : बेंगलूर
दिनांक: 30.08.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

विवरण	नोट सं	आँकड़े रुपयों में	
		31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
I. प्राचलनों से राजस्व	1	1050,78,48,570	1035,16,43,009
II. अन्य आय	2	129,82,35,288	78,41,92,112
III. कुल आय		**1180,60,83,858**	**1113,58,35,121**
IV. व्यय:			
(i) प्रचालन से राजस्व की लागत	3	926,43,57,657	891,48,16,704
(ii) कर्मचारी लाभ व्यय	4	1,82,74,287	1,68,74,221
(iii) मूल्यह्रास		9,69,045	12,23,759
(iv) अन्य व्यय	5	7,42,56,500	6,41,33,876
कुल व्यय		**935,78,57,489**	**899,70,48,560**
V. असाधारण मद एवं कर से पहले लाभ		244,82,26,369	213,87,86,561
VI. असाधारण मद	6		14,23,223
VII. कर से पहले लाभ		**244,82,26,369**	**214,02,09,784**
VIII. कर व्यय:	7		
(i) चालू कर		75,02,45,012	75,87,62,879
(ii) आस्थगित कर		1,18,56,020	72,33,635
IX. चालूरत प्रचालनों के अवधि के लिए लाभ		**170,98,37,377**	**138,86,80,540**
X. प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय			
प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु युमरेटर के रूप में उपयोग की गई राशि		170,98,37,377	138,86,80,540
प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु अंकित मूल्य के रूप में उपयोग की गई राशि		1,00,000	1,00,000
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		100	100
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल तथा जनित अर्जन से		17,098	13,887
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	त		
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	थ		

नोट सं.1 से 7, त व थ इस लाभ तथा हानि लेखा के अनिवार्य भाग है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(पी.एस.वीरराघवन)
निदेशक

हस्ता/
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 30.08.2012

स्थान : बेंगलूर
दिनांक: 30.08.2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के नोट की रचना

नोट सं	विवरण	यूनिट	आँकड़े रुपये में है, इसके अलावा अन्य को व्यक्त किया गया है	
			31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
क	**शेयर पूँजी**			
	इक्विटी शेयरस्			
	(क) प्राधिकृत:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	5,00,000	5,00,000
	(ii) शेयरस् का राशि		5,00,00,000	5,00,00,000
	(ख) जारी, अंशदानित तथा पूरा प्रदत्त नकद :			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	1,00,000	1,00,000
	(ii) शेयरस् का राशि		1,00,00,000	1,00,00,000
	(ग) प्रत्येक शेयर का सममूल्य		100/-	100/-
	(घ) (i) रिपोर्ट अवधि के शुरूआत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ङ) पूँजी की चुकौती तथा लाभांश के बँटवारे के प्रतिबंध सहित प्रत्येक वर्ग के शेयरों को संलग्न करते हुए अधिकार, अधिमान तथा प्रतिबंध		**इक्विटी शेयरस्:** कंपनी के अंर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारितों धृत एक मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबन्ध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के पास निहित है; बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा के घोषणा पर निर्भर करती है । पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% को भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार पूँजी की चुकौती होगी ।	**इक्विटी शेयरस्:** कंपनी के अर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारितों धृत एक मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है; बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा के घोषणा पर निर्भर करती है । पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% को भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार पूँजी की चुकौती होगी ।
	(च) कम्पनी में शेयरधारक जो 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक से शेयर धारकों की संख्या निर्दिष्ट होती है		भारत के राष्ट्रपति तथा इाके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगतान किए गए 1,00,000 के समूचे 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।	भारत के राष्ट्रपति तथा इनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगतान किए गए 1,00,000 के समूचे 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।

ख रिजर्व तथा अधिशेष:		
(क) सामान्य रिजर्व:		
रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि	668,75,00,000	562,29,00,000
जोड़: चालू वर्ष के लाभ का अंतरण	131,60,00,000	106,46,00,000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	**800,35,00,000**	**668,75,00,000**
(ख) अधिशेष:		
रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि	40,00,612	38,59,179
जोड़: चालू वर्ष का लाभ	170,98,37,377	138,86,80,540
	171,38,37,989	**139,25,39,719**
घटाव:		
सामान्य आरक्षिति का अंतरण	131,60,00,000	106,46,00,000
प्रस्तावित लाभांश	34,20,00,000	27,78,00,000
वितरित लाभ पर कर	5,54,80,950	4,61,39,107
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	3,57,039	40,00,612
जोड़	**800,38,57,039**	**669,15,00,612**
ग अन्य दीर्घकालीन देयता:		
(क) वाणिज्य देय	72,67,70,140	41,79,62,391
(ख) अन्य	1107,45,38,223	966,60,26,378
	1180,13,08,364	**1008,39,88,769**
घ दीर्घकालीन प्रावधान		
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) उपदान के लिए प्रावधान	6,19,841	5,17,065
(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए	10,76,396	5,71,386
	16,96,237	**10,88,451**
ङ अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ:		
(क) अग्रिम में प्राप्त आय	135,79,02,886	121,43,77,394
(ख) ग्राहकों से अग्रिम	57,79,10,404	136,61,96,622
(ग) संवैधानिक देयता	8,72,92,038	16,41,41,707
(घ) व्यय के लिए लेनदार	41,46,168	3,46,26,857
(ङ) परियोजना व्यय के लिए लेनदार	25,92,16,488	13,27,61,571
(च) अन्य देयता के लिए लेनदार	27,43,983	19,35,41,667
	228,92,11,967	**310,56,45,818**
ट अल्पावधि प्रावधान:		
(क) छुट्टी नकदीकरण के लिए	1,22,245	
(ख) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	34,20,00,000	27,78,00,000
(ग) वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान	5,54,80,950	4,61,39,107
	39,76,03,195	**32,39,39,107**
ठ मूर्त परिसंपत्तियाँ:		
(i) (क) फर्नीचर एवं उपकरण	15,50,256	12,06,039
(ख) कम्प्यूटर	5,25,849	7,01,867
(ग) कार्यालय उपकरण	15,05,979	17,13,789
	35,82,084	**36,21,695**
(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटान, अविग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के सकल व निवल राशि का समाधान तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा

ड	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ:**		
	(i) (क) कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1,90,332	3,17,220
	(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के सकल व निवल राशि का समन्वय तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
ढ	**दिर्घावधि निवेश**		
	म्यूचुअल फण्ड में निवेश:		
	(लागत पर - अवाणिज्यिक - अनुद्धृत)		
	एस.बी.आई. एम.एफ., एस.डी.एफ.एस.-15 माह - 6 बढ़ोतरी (2,50,00,000 दर @ रु.10 प्रति. वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.25,36,27,500 @ रु.10,1451 प्रति निवेश किया)		25,00,00,000
			25,00,00,000
	अनुद्धृत की औसतन राशि, मयूचल फंड में अवाणिज्यिक दीर्घकालीन निवेश		**25,00,00,000**
ण	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम:**		
	(अनारक्षित-खरें माने गये)		
	(क) पूंजीगत अग्रिम	3,44,97,462	
	(ख) सुरक्षा जमा	50,15,28,875	50,02,04,875
	(ग) कर्मचारियों को अग्रिम	19,500	25,500
	(घ) कर्मचारियों के अग्रिम पर उपचित ब्याज	6,320	5,758
	(ङ) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	539,63,81,318	438,72,57,537
	(च) बकाया कर की वापसी	69,89,06,476	94,31,66,267
	(छ) प्रतिबद्ध के तहत भुगतान किए गए कर	9,12,47,312	9,12,47,312
	(ज) वाणिज्य लेनदारों के अग्रिम	1,06,49,100	92,88,300
	(झ) ग्राहकों से बकाया	21,976	21,976
		673,32,58,339	**593,12,17,525**
त	**चालू निवेश**		
	म्यूचुअल फण्ड में निवेश:		
	(लागत पर - अवाणिज्यिक - अनद्धृत)		
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ एफएमपी श्रेणी 52-367 दिन बढ़ोतरी (1,50,17,543 दर @ रु.10 प्रति. वर्ष अंत में एन.ए.वी. निवेश किया)	15,01,75,430	
	केनरा रोबेको एम.एफ. इण्डिगो ग्रोथ फण्ड (2,06,34,553.7980 दर पर 12.1156 प्रत्येक; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 12.1825, रु.25,13,80,451.64)	25,00,00,000	
	एसबीआई एम.एफ. एस.डी.एफ.एस.-15 माह - 6 बढ़ोतरी (2,50,00,000 दर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.25,36,27,500/- @ रु.10.1451 प्रति निवेश किया)	25,00,00,000	
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 367 दिन - 7 - बढ़ोतरी (2,50,00,000 दर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.25,94,77,500/- @ रु.10.3791 प्रति निवेश किया)	*25,00,00,000*	
	एसबीआई एमएफ-एसबीआई ऋण फण्ड श्रृंखला 19 -367 दिन-एफएमएफ बढ़ोतरी 2,00,00,000 के दर पर @ रु. 10/- प्रति, वर्ष अंत में एनएवी निवेश किया)	20,00,00,000	
	एसबीआई एमएफ एसडीएफएस - 370 दिन - 4 बढ़ोतरी (2,50,00,000 दर पर @ Rs.10 प्रति, वर्ष अंत में एनएवी रु..26,34,15,000/- @ रु.10.5366 प्रति निवेश किया)		25,00,00,000
	यूटीआई एमएफ सावधिक आय निधि श्रृंखला XI-VII-366 D 2,00,21,114.914 दर पर @ Rs10/- प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.0288 रु. 20,07,87,757.25 प्रति निवेश किया)	20,02,11,149	
	यूटीआई एमएफ सावधिक परिपक्वता योजना - वार्षिक एमएमपी श्रृंखला (वाइएफएमपी 1/11) (2,50,00,000 दर पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एनएवी रु.25,51,30,000/- @ रु.10.2052 प्रति निवेश किया)		25,00,00,000
	यूटीआई एमएफ सावधिक आय निधि श्रृंखला VII-III (2,50,00,000 दर पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एनएवी रु.26,52,32,500/- @ रु.10.6093 प्रति निवेश किया)		25,00,00,000

	केनरा रोबेको एमएफ - खजाना लाभदायक निधि निवेश (40318654.58 रु. प्रति शेयर के दर पर रु.12.4071 यूनिटों में निवेश)		50,02,37,579
	केनरा रोबेको एमएफएलआईक्यूयू सुपर इस्टी डीएलवाई डिव रिनिव फण्ड (219347.4530 दर पर @ रु.1005.50 प्रति वर्ष अंत में एनएवी प्रति निवेश किया)	22,05,53,864	
	केनरा रोबेको एमएफइंटर्व एसआरएस 2 ति. योजना 2-इस्ट दिव फण्ड (1,49,95,201.536 दर पर @ रु.10.0032 प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.0309 is रु.15,04,15,367.09 प्रति निवेश किया)	15,00,00,000	
	केनरा रोबेको एमएफ टीआरवाई एडीवी सुपर इस्ट डीएलवाई डिव रैनिव फंड (1,47,754.9850 दर पर @ रु.240.71 प्रति वर्ष अंत में एनएवी निवेश किया गया)	18,33,21,087	
	एलआईसी नोमुरा एमएफ लिक्विड फंड डिविडेड योजना (2,729.339 दर पर @ रु.10.9801 प्रति वर्ष अंत में एनएवी निवेश किया गया)	29,968	
	यूटीआई एमएफ लघु अवधि आय फंड इस्टी-इंक आप्ट-आरई-इनव (4,86,65,841.302 दर पर @ रु.10.58777 प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.5653 रु.51,41,69,213.11 निवेश किया गया	51,52,62,745	
	यूटीआई एमएफ फ्लोटिंग दर निधि - अल्पावधि योजना 1000.7707 रु. प्रति शेयर के दर पर 4,99,896.163 यूनिटों में निवेश)		50,02,81,433
		236,95,54,244	**175,05,19,012**
	अनुद्धृत की औसता राशि, मयूचल फंड में अवाणिजियक दीर्घकालीन निवेश	**236,95,54,244**	**175,05,19,012**
थ	**व्यापार प्राप्तियाँ:**		
	(असुरक्षित)		
	(क) भुगतान के लिए बकाया दिनांक से छ महिने से अधिक की अवधि के लिए बकाया कर व्यापार प्राप्तियाँ		
	(i) खरे माने गये	89,59,25,478	92,45,95,111
	(ii) संदिग्ध माने गये	31,26,29,413	27,05,48,095
	(ख) अन्य ऋण (खरे माने गये)	335,58,26,060	215,44,46,812
		456,43,80,951	**334,95,90,018**
	घटाईए: संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	31,26,29,413	27,05,48,095
		425,17,51,538	**307,90,41,923**
द	**नकद एवं नकद के समतुल्य:**		
	(क) बैंक में बकाया	226,88,73,071	69,73,80,055
	(ख) उपलब्ध नकद	12,892	14,454
	(ग) 12 महीने से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा	762,14,65,102	897,91,53,137
		989,03,51,065	**967,65,47,646**
ध	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम:**		
	(अनारक्षित-खरे माने गये)		
	(क) व्यय के लिए अग्रिम	8,55,001	57,15,496
	(ख) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	56,67,775	82,42,255
	(ग) व्यापार लेनदार के लिए अग्रिम	52,10,32,102	56,26,78,664
	(घ) बकाया कर की वापसी		4,62,472
		52,75,54,878	**57,70,98,887**
न	**अन्य चालू संपदा**		
	(अनारक्षित-खरे माने गये)		
	(क) बैंक में जमा राशि के लिए उपचित ब्याज	68,79,34,574	34,04,25,476
	(ख) निविष्ट सेवा कर	8,34,18,155	11,07,98,758
		77,13,52,729	**45,12,24,234**

(आँकड़े ₹ में)

नोट के लिए अनुसूची - जी - मूर्त परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				मूल्य ह्रास (डब्ल्यू.डी.वी.पद्धति के अन्तर्गत)				निवल निरुद्ध (डब्लयू.डी.वी.)	
		31.3.11 के अनुसार	जोड़	बिक्री/ हस्तांतरण	31.3.12 के अनुसार	31.3.11 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ हस्तांतरण के लिए	31.3.12 तक	31.3.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
1	फर्निचर और फिक्सचर्स	60,53,785	5,75,254		66,29,039	48,47,746	2,31,037		50,78,783	15,50,256	12,06,039
2	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	46,76,059	1,46,101		48,22,160	39,74,192	3,22,119		42,96,311	5,25,849	7,01,867
3	कार्यालय उपस्कर	35,16,930	1,04,547	79,597	35,41,880	18,03,141	2,74,883	42,123	20,35,901	15,05,979	17,13,789
	कुल	**142,46,774**	**8,25,902**	**79,597**	**149,93,079**	**106,25,079**	**8,28,039**	**42,123**	**114,10,995**	**35,82,084**	**36,21,695**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**137,64,564**	**4,82,210**		**142,46,774**	**96,00,731**	**10,24,348**		**106,25,079**	**36,21,695**	**41,63,833**

नोटः संयुक्त व्यापार तथा हानि/प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है ।

नोट के लिए अनुसूची - आई- अमूर्त परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				मूल्य ह्रास (डब्ल्यू.डी.वी.पद्धति के अन्तर्गत)				निवल निरुद्ध (डब्लयू.डी.वी.)	
		31.3.11 के अनुसार	जोड़	बिक्री/ हस्तांतरण	31.3.12 के अनुसार	31.3.11 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ हस्तांतरण के लिए	31.3.12 तक	31.3.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
1	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10,62,135	14,118		10,76,253	7,44,915	1,41,006		8,85,921	1,90,332	3,17,220
	कुल	**10,62,135**	**14,118**		**10,76,253**	**7,44,915**	**1,41,006**		**8,85,921**	**1,90,332**	**3,17,220**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**9,64,223**	**97,912**		**10,62,135**	**5,45,504**	**1,99,411**		**7,44,915**	**3,17,220**	**4,18,719**

नोटः संयुक्त व्यापार तथा हानि/प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है ।

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुला पत्र के भाग के नोट की रचना

नोट सं.	विवरण	नोट	यूनिट आंकड़े रुपये में है, इसके अलावा	अन्य को व्यक्त किया गया है
			31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
1	प्रचालन से राजस्व:			
	(क) उत्पादों की बिक्री:			
	(i) निर्यात		4,05,41,940	102,25,58,465
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा निर्यात से संबंधित अंतरण		21,60,050	-525,613
			4,27,01,990	**102,20,32,852**
	(ii) अन्तर्देशीय बिक्री		**41,06,17,474**	**69,68,21,137**
	(ख) सेवा की बिक्री:			
	(i) विदेशी परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		2,63,09,130	14,08,87,143
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एफसीएस से संबंधित अंतरण		85,07,775	6,20,619
			3,48,16,905	**14,15,07,762**
	(ii) अन्तर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		**1,71,90,390**	**37,75,98,921**
	(ग) अन्य प्रचालानात्मक राजस्व:			
	(1)विदेशी प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		24,38,21,089	29,54,71,672
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएआर से संबंधित अंतरण		52,82,739	28,09,410
			24,91,03,828	**29,82,81,081**
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियाँ		82,72,51,529	18,43,51,357
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एचएफ से संबंधित अंतरण		1,69,48,700	7,76,073
			84,42,00,229	**18,51,27,430**
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		16,39,52,730	26,80,35,660
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएएससीसी से संबंधित अंतरण		-263,692	-2,382,999
			16,36,89,038	**26,56,52,661**
	(2)अतर्देशीय प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		8,96,474	
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		874,46,32,242	736,46,21,165
			1050,78,48,570	**1035,16,43,009**
2	अन्य आय			
	(क) ब्याज से प्राप्त आय			
	(i) बैंक में जमा राशि पर		98,68,68,968	62,03,34,036
	(ii) अग्रिम तथा बकाया देनदारों पर		7,09,15,079	1,94,56,933

	(ख) निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या/हानि		
	(i) म्युचल फंड निवेश पर पूँजीगत लाभ	5,77,80,000	8,80,49,588
	(ग) म्युचल फंड निवेश पर लाभांश प्राप्तियाँ	9,37,37,805	2,18,92,292
	(घ) विदेशी मुद्रा पर निवल लाभ/हानि तथा बकाया देयता एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित अंतरण	5,59,00,269	2,63,88,828
	(ङ) देयता जिसको आगे भी वापस करने की आवश्यकता न हो	2,78,91,295	
	(च) पिछली अवधि के मद	20,85,053	
	(छ) विविध आय	30,56,819	80,70,435
		129,82,35,288	**78,41,92,112**
3	**प्रचालन से राजस्व की लागत**		
	(क) क्रय की लागत		
	(i) निर्यात की लागत	2,41,48,369	67,88,10,712
	(ii) अंतर्देशी बिक्री की लागत	37,23,88,140	64,62,47,439
	(ख) सेवा की लागत		
	(i) विदेशी परामर्श प्राप्तियों की लागत	61,54,293	6,26,68,084
	(ii) अन्तर्देशी राजस्वों की लागत	1,26,77,560	35,37,44,784
	(ग) अन्य राजस्व की लागत		
	विदेशी प्राप्तियों के लिए		
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ	14,46,43,124	18,76,48,134
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियों की लागत	63,41,54,153	12,31,69,550
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत	14,10,20,749	22,78,30,311
	अन्तर्देशीय प्राप्तियों के लिए		
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ	5,37,884	
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार प्राप्तियों की लागत	792,86,33,385	663,46,97,690
		926,43,57,657	**891,48,16,704**
4	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन	41,00,573	51,79,133
	भविष्य निधि के लिए योगदान	1,80,105	2,14,790
	कर्मचारी कल्याण	5,64,041	3,90,574
	छुट्टी यात्रा रियायत	5,96,355	6,03,509
	प्रदत्त छुट्टी नकदीकरण	50,115	26,796
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	6,27,255	1,03,151
	उपदान प्रदत्त	60,951	
	उपदान प्रावधान	1,02,776	44,247
	स्थापना व्यय	1,19,84,505	1,02,88,721
	वैयक्तिक प्रशिक्षण व्यय	7,611	23,300
		1,82,74,287	**1,68,74,221**
5	**अन्य व्यय:**		
	यात्रा व्यय	62,56,843	36,85,210
	वाहन और टैक्सी भाड़ा	15,66,942	21,87,416
	मुद्रण और लेखन सामग्री	6,00,526	12,00,124
	संचार संबंधी खर्च	12,28,600	20,36,608
	कानून परामर्शिता तथा व्यावसायिक शुल्क	1,62,37,917	37,29,335
	दर तथा कर	4,36,406	84,162

	प्रचार एवं विज्ञापन	6,00,505	11,07,000
	आतिथ्य व मनोरंजन	3,14,364	6,52,960
	संगोष्ठी, सम्मेलन तथा बैठक संबंधी व्यय	10,28,348	3,48,330
	प्रदर्शनी व व्यवसाय मेला		54,93,225
	पट्टे पर किराया	10,000	10,000
	करों की विलंबित भुगतान पर ब्याज	6,19,339	45,36,370
	बैंक प्रभार	4,19,164	3,28,045
	बैंक गारंटी तथा एल सी प्रभार	2,80,731	6,14,423
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	14,50,068	14,28,437
	लेखा परीक्षा के लिए भुगतान		
	लेखा परीक्षकों के रूप में	1,68,540	1,54,420
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	22,000	
	सदस्यता एवं अभिदान	1,34,505	4,31,837
	विविध व्यय	8,00,384	24,48,818
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	4,20,81,318	2,72,08,918
	अवधि की पूर्व की मदें		64,48,238
		7,42,56,500	**6,41,33,876**
6	**असाधारण मद**		
	आसाधरण आय		14,23,223
7	**कर व्यय:**		
	(i) चालू कर	76,10,00,000	69,16,00,000
	पिछले वर्षों में अत्यधिक प्रावधान	1,12,54,910	6,63,35,372
	पिछले वर्षों में एफबीटी के लिए अल्प प्रावधान	4,99,922	8,27,507
		75,02,45,012	75,87,62,879
	(i) आस्थगित कर		
	वर्ष के दौरान (बचत) उत्पन्न आस्थगित कर	1,39,38,317	91,23,044
	वर्ष के दौरान (व्यय) उत्क्रम आस्थगित कर	20,82,297	18,89,409
		1,18,56,020	**72,33,635**

लेखा विधि संबंधी नीतियाँ

1. सामान्य :

कम्पनी चालू संस्था, एकरूपता और लेखा की उपचित पद्धति नामक मूलभूत लेखा-विधि संबंधी नीति का अनुपालन करती है जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. आय :

(ii) बिक्री :

आय तब स्वीकार की जाती है जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेका दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। परन्तु, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो आय स्वीकार कर ली जाती है, इस बात के होते हुए भी भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, जब तक कि यह आशा है कि सुपुर्दगी की जायेगी और माल सुपुर्दगी के लिए तैयार है और यदि सुपुर्दगी की संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तें है तो आय को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ :

(क) प्रमोचन, संस्थापना, कमीशन और परीक्षा एवं निर्माण कार्य आय, काम के पूरा होने के चरण तक निर्दिष्ट होने के बाद स्वीकार की गई है जैसे कि ठेके में विनिर्दिश है कि कहे गए चरण को पूरा करने के अनुकूल लागत का लेखाकरण किया जाएगा।

(ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड प्रभार, दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश कक्षीय जाँच, आदि। आय, सेवा में ठेके की प्रकृति के आधार पर, वह एक बारगी सेवा हो अथवा आवृत्तिशील हो, के आधार पर, तुरंत प्रदान की गई या आवधिक रूप में स्वीकार की गई है।

(iii) परामर्शिता :

आय, प्रदान की जाने वाली या ठेके पर ली गई परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर तुरंत स्वीकार की गई है।

(iv) सम्मिश्र ठेका :

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए आय उपरोक्त (i) से (iii) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार की गई है।

(v) अन्य आय :

(क) ब्याज :

ब्याज से आय प्रोदभवन आधार पर स्वीकार की गई है। फिर भी, केवल प्राप्ति के बाद, ठेके के अनुसार, समय के अनुपात के आधार पर, व्यापार प्राप्तियों से ब्याज की आय को मान्यता दी गई है।

(ख) रॉयल्टी :

रॉयल्टी का नकद आधार पर लेखा-जोखा रखा गया है।

(ग) निवेश से प्राप्त लाभांश :

जब भुगतान पाने का कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाए।

(घ) विदिशी मुद्रा में उतार-चढाव :

प्रचालन से प्राप्त, राजस्व के संबंधित मूल्य पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव का हिसाब लिया गया है।

3. व्यय :

इसरो को देय निर्यात, विदेशी (अय) प्राप्तियों, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय (अय) प्राप्तियों की लागत का लेखा-जोखा, इसरो तथा कम्पनी के बीच पारस्परिक सहमति और अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियों :

इतिवृत्तीय लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखा गया है।

5. मूल्य ह्रास :

स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वेल्यू पद्धति के तहत प्रदान किया गया है।

6. मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11 :

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देन का उक्त दिन के विनिमय दर के हिसाब से लेखा-जोखा रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा मे धन-राशि प्राप्त करते या उसके भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित और आर्थिक परिसम्पत्तियाँ अथवा देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में लागू विनिमय दर अथवा तदनंतर निपटान की गई दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और उतार-चढ़ाव को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया गया है।

7. उक्त अवधि, अवधि पूर्व की मदों के लिए निवल लाभ व हानि और लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन ए.एस.5 :

आय व व्यय की ऐसी सभी मदें जिन्हें इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त हो, जब तक लेखा विधि मानक की आवश्यकता हो या अथवा अनुमति हो, उक्त अवधि के निवल लाभ व हानि के निर्धारण में शामिल की जाएँगी। एक या अधिक पूर्व की अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली गलती या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय व व्यय के रूप मान्यता दी गई है।

8. परिसम्पत्तियों की हानि - ए.एस.28

जब परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली लागत से ज्यादा होती है तब परिसंपति को अपसामान्य हानि माना जाता है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है उस वर्ष की परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान पाई अपसामान्य हानि को, वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित किया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ - ए.एस.-29 : ऐसे प्रावधान जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त निहित मात्रा को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बाकी है और बहिंगमन संभव होता है। आकस्मिक देयताओं को इंगित नहीं किया गया है परन्तु, टिप्पणियों में दिखाया गया है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न ही इंगित किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

10. संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान :

ऋण जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य खंड उद्यम में देय है जिनके लिए हर मामले के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं, को छोड़ सभी संदिग्ध ऋण जो तीन साल से ज्यादा बकाया हैं, के लिए प्रावधान बनाए गए है।

11. निवेश :

वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित सूची VI के अनुसार, निवेश को " दीर्घकालीन निवेश" तथा "चालू निवेश" में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेश के लिए अग्रेणित राशि, लागत से कम है तथा सही मूल्य को, व्यक्तिगत निवेश या निवेश के वर्गीकरण के आधार पर लिया जाता है न की समूचे (या वैश्विक) आधार पर। दीर्घकालीन निवेश को लागत के आधार पर लिया जाता है। फिर भी, अस्थायी के अलावा, दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास को तब अग्रेणित राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसकी अग्रेणित राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय को लाभ तथा हानि लेखा विवरण में दर्शाया जाता है।

	लेखा के भाग पर अन्य नोट		
		31 मार्च 2012 के अनुसार	31 मार्च 2011 के अनुसार
1	आकस्मिक देयता एवं प्रतिबद्धताएँ: (सीमा तक प्रदत्त न किये जाने पर) **(i) आकस्मिक देयताएँ:**	₹373,21,41,357	₹373,21,41,357
	(क) कम्पनी के प्रति दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (i) माननीय उच्च-न्यायालय में कर्नाटक मूल्यनियोजित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर के माँग का विवाद	₹1,06,00,934	₹1,06,00,934
	(ii) सीईएसटीएटी, बेंगलूर में सेवा कर माँग का विवाद (iii) ग्राहक द्वारा परिनिर्धारित नुकसान	₹21,89,00,000	₹21,89,00,000
	(ख) गारंटी	आकस्मिक देयता के परिणाम में कंपनी द्वारा कोई गारंटी नहीं जारी की गई है	आकस्मिक देयता के परिणाम में कंपनी द्वारा कोई गारंटी नहीं जारी की गई है
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से देय है	शून्य	शून्य
	ii) प्रतिबद्धता: (क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाए तथा जिसे किसी और के लिए प्रदत्त न किया जाए;	₹60,15,856	₹6,49,99,315
	(ख) अन्य प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य
2	(i) इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि:	₹34,20,00.000	₹27,78,00,000
	(ii) प्रत्येक शेयर से संबंधित राशि :	₹3,420	₹2,778
3	स्थायी परिसम्पत्तियों के अलावा किसी और परिसम्पत्ति के बारे में बोर्ड के विचार तथा सामान्य व्यापार में दीर्घकालीन निवेश की प्राप्तियों का कोई मूल्य नहीं होगा, कम-से-कम उनके द्वारा उल्लिखित की गयी राशि के समान नहीं होगा ।	बोर्ड के विचार के अनुसार ऐसी परिसम्पत्तियों का सामान्य व्यापार की प्राप्तियों में कम-से-कम लेखा में उल्लिखित की गई राशि के समान मूल्य हो ।	बोर्ड के विचार के अनुसार ऐसी परिसम्पत्तियों का सामान्य व्यापार की प्राप्तियों में कम-से-कम लेखा में उल्लिखित की गई राशि के समान का मूल्य हो ।
4	क) वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सी.आई.एस.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है:- I. कच्ची सामाग्री ; II. घटक एवं कलपुर्जे ; III. पूँजीगत माल;	दिनांक 31.07.2012 को जारी किये गये आदेश सं.46/12/2012-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।	दिनांक 04.07.2011 को जारी किये गये आदेश सं.46/119/2011-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।
	ख) वित्तीय वर्ष के दौरान रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी व्यवसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले के लेखा पर विदेशी मुद्रा में व्यय;	-वही-	-वही-

	ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गये सभी आयातित कच्ची सामग्री, कलपुर्जे एवं घटकों तथा इसी तरह उपयोग किये गये सभी स्वदेशी कच्ची सामग्रियाँ, कलपुर्जे एवं घटकों का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में से प्रत्येक का प्रतिशत:-	-वही-	-वही-
	घ) वर्ष के दौरान गैर-आवासीय शेयरधारकों के कुल संख्या को विशिष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए लाभांश के लेखा में विदेशी मुद्रा के रूप में धन राशि जमा की गई, बकाया लाभांश जिसमें शेयरधारकों की कुल संख्या तथा वर्ष जिससे लाभांश संबंधित था ।	शून्य	शून्य
	ङ) निम्नलिखित शीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा के अर्जन को वर्गीकृत किया गया है, जैसे:-		
	I. एफ.ओ.बी. आधार पर माल के निर्यात का परिकलन,	कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा	कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी
	II. रॉयल्टी तकनीकी जानकारी व्यवसायिक एवं परामर्शिता शुल्क	-वही-	-वही-
	III. ब्याज एवं लाभांश	शून्य	शून्य
	IV. प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए, अन्य आय	शून्य	शून्य

5. परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव तथा वर्षांत की मुद्रा दर और उनके संबंधित लाभ-हानि लेखे में नामे/जमा का ब्यौरा इस प्रकार है :

विवरण	विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव ₹	डी.आर./ सी.आर.	वर्षांत की मुद्रा दर ₹	डी.आर./ सी.आर.	लाभ और हानि लेखा
बैंक जमा और चालू खाते, देयताएँ तथा लेनदार	0		5,59,00,269	सी.आर	विविध आय में जमा किया गया
	(3,59,74,274)	सी.आर	(69,94,692)	डी.आर.	(विविध आय/व्यय में जमा किया गया/के ाामे डाला गया)

पिछले वर्ष के आँकडे कोष्ठक में दर्शाये गये है ।
डी.आर.-Debit सी.आर. - Credit

6. प्रतिभूति के रूप में "सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला-"V" सर्कल, बेंगलूर, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते में" के नामे 12 महीने से अधिक की अवधि वाली बैंक जमाराशि में केनरा बैंक में जमा की गई कुल रु. 22,848 (पिछले वर्ष 26,520 रु) की जमाराशि भी शामिल है।

7. कम्पनी ने कैनरा बैंक में ₹20,00,000 (गत वर्ष ₹20,00,000) के मूल्य की मियादी जमा रसीद और भारतीय स्टेट बैंक में ₹1,61,70,750/- (₹29,02,800/-), की मियादी जमा रसीद उन्हें विधिवत प्रतिभूत/ निरसा करते हुए जमा करवाई हैं। फिलहाल, ए.एस.-29 में यथा निर्दिष्ट कोई प्रावधान ाहीं किया गया है और तदनुसार, पैरा 66 एवे 67 में प्रकटीकरण का प्रशन नहीं उठता।

8. के.वी.ए.टी. के तहत् ₹201.02 करोड रुपये औ सी.एस.टी. अधिनियम के तहत् ₹4.93 करोड रुपये (कुल 205.96 करोड रुपये) जिसमें 01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए दण्ड एवं ब्याज भी शामिल है, की माँग के प्रति, कम्पनी

ने वाणिज्यिक कर प्राधिकार के उक्त आदेश के विरुद्ध कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय की डिविज़न बेंच ने वाणिज्यिक कर विभाग की माँग का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया। उक्त आदेश से नाखुश होकर कम्पनी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50 करोड़ रुपये के राशि को कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग के साथ जमा करने का निदेश देते हुए 12.03.2010 को अंतरिम आदेश जारी किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम्पनी को भविष्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिवाद आदेश को कार्यान्वित करने का निदेश दिया, जिसको उसके दूसरे अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 द्वारा तदांतर रोका गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश इस प्रकार दिया - "निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही करने दिया जाए पर अगले आदेशों तक कोई वसूली न की जाए" यह मामला विचाराधीन है।

9. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 के अनुसार निर्धारण अधिकारी ने अगली अवधि अगस्त 2008 से मार्च 2010 के लिए कम्पनी के राजस्व का निर्धारण किया और दिनांक 19.08.2010 को ब्याज और दण्ड सहित ₹167.12 करोड़ का के.वी.ए.टी. उद्ग्रहण किया है। कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरोध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के सामने की डब्ल्यू.पी.सं.30308/2010 दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की है और यह मामला विचाराधीन है।

10. सेवा कर आयुक्त, अधिक करदाता यूनिट, बेंगलूर ने 2003-2005 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर निर्माण, अभिचालन और स्थापना के तहत् ₹53,00,467/- और ₹53,00,467 की राशि के दण्ड के साथ, कुल मिलाकर, ₹1,06,00,934/- के सेवा कर की देयता का आदेश दिया है। इस ओदश के प्रति सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकारण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर में अपील की गई थी। मामला दो बार 08.10.2010 और 07.01.2011 को न्यायालय के सामने आया और विवाद समिति (सीओ.डी.) के स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया गया। सी.ओ.डी 27.01.2011 को बैठक हुई और उनके पत्र सं. सी.ओ.डी./08/2011 दिनांक 07.02.2011 के अनुसार कम्पनी को सहमति दी गई कि वह न्यायालय के सामने अपील दाखिल करें। न्यायालय ने 11.04.2011 को मामला को सूचीबद्ध किया पर सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। तत्पश्चात् 12.01.2012 को मामले की सुनवाई की गई तथा निर्णय की प्रतीक्षा है, मामला न्यायाधीन है।

11. अन्तरिक्ष विभाग ने पत्र सं.बी31012/3/2011-अनु-5 दिनांक 23/02/2011 द्वारा कम्पनी को मेसर्स देवास मल्टिमीडिया प्राईवेट लिमिटेड (देवास) के साथ 28.1.2005 को किए गए करार को रद्द करने का निदेश दिया। कम्पनी ने पत्र सं. Antx/07-85(02)/2011 दिनांक 25.02.2011 के अनुसार करार तत्काल रद्द कर केन्द्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय को सूचित किया कि एस-बैण्ड में कक्षीय स्लॉट कम्पनी को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध न कराया जाए। केन्द्रीय सरकार ने शासन क्षमता के रूप में नीतिगत निर्णय लिया है और यह अपरिहार्य घटना है जो 23/02/2011 को हुई और अनिश्चित है और यह कम्पनी के तर्क संगत नियंत्रण से परे है। यह अपरिहार्य घटना करार की धारा 11(बी) (वी) के तहत है। कम्पनी के द्वारा करार के अनुसार उत्तरदायित्व को फिर लेने की संभावना को इस समापन के साथ निकाल दिया जाता है। कम्पनी ने इस करार के समापन पर देवास से प्राप्त आरक्षण प्रभार रु 58.37 को वापस कर दिया है। परंतु देवास ने लौटाये हुए धन को नहीं लिया और कम्पनी को वही राशि वापस दे दी है। देवास ने 29.06.2011 को अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत पैरिस में करार को बरकरार रखने हेतु मध्यस्थता याचिका दर्ज की है। कम्पनी आई.सी.सी के तहत विवेचन से सहमत नहीं है और इस सूचना को दिनांक 11.7.2011 के पत्र द्वारा सूचित कर दिया है और आई.सी.सी. के साथ तदांतर पत्राचार में इसको दोहराया भी है। कम्पनी ने करार में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया है और 30.7.2011 को देवास को नोटिस जारी की है। माननीय उच्चतम-न्यायलय में भी याचिका दर्ज की है कि करार के अनुसार देवास को मध्यस्थों की नियुक्ति का निदेश दिया जाए। कम्पनी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर में भी मध्यस्थता आवेदन और मुकदमा दाखिल किया है कि देवास द्वारा प्रारंभ आई.सी.सी. कार्यवाहियों को समादेश किया जाए। मध्यस्थता के निर्णय की अंतिम व्यवस्था पर, निर्णय स्वीकार किए जाने वाले वर्ष के लेखाओं के लेखा-विधि का उचित प्रतिपादन किया जायेगा ।

12. लेखा मानक (ए.एस)- 15(संशोधित) के अनुसार, बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर उपादान एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान दिया गया है तथा प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

क. उपदान

तालिका 1 - तुलन-पत्र में स्वीकृत की जानेवाली धनराशि

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 12	31 मार्च 11
	(₹ में)	
वित्त न प्रदान किये गये कार्यों का वर्तमान मूल्य	6,19,841	5,17,065
तुलन-पत्र में धनराशि		
देयता - चालू	32,052	14,506
देयता - दीर्घकालीन	5,87,789	5,02,559
परिसम्पत्तियां	-	-
निवल देयता	**6,19,841**	**5,17,065**

तालिका 2 - लाभ तथा हानि लेखा के विवरण में स्वीकृत किये जाने वाले व्यय

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 12	31 मार्च 11
	(₹ में)	
चालू सेवा लागत	97,238	1,06,554
निर्दिष्ट लाभ कार्य पर ब्याज	50,689	47,431
वर्ष में स्वीकृत निवल वास्तविक हानि/(लाभ)	1,80,646	(1,09,738)
'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	**3,28,573**	**44,247**

तालिका 3 - इस अवधि के लिये लाभ कार्यों तथा योजना

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 12	31 मार्च 11
	(₹ में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्यों में परिवर्तन		
प्रारंभिक निर्दिष्ट लाभ कार्य	5,17,064	4,72,818
चालू सेवा लागत	97,238	1,06,554
ब्याज लागत	50,689	47,431
वास्तविक हानि/(लाभ)	1,80,646	(1,09,738)
लाभ प्रदत्त	(2,25,797)	-
समाप्त निर्दिष्ट लाभ कार्य	**6,19,841**	**5,17,065**
अगले वर्ष नियोक्ता का अपेक्षित योगदान	32,052	14,506

तालिका 4 - परिसंपत्तियों की सूचना - शून्य

तालिका 5 - अनुभवजन्य समायोजन

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 12	31 मार्च 11
	(₹ में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्य	6,19,841	5,17,065
अधिशेष (घाटा)	-	-
योजनाबद्ध देयता पर अनुभवजन्य समायोजन	(6,19,841)	(5,17,065)
समाप्त अवधि के लिए	1,29,370	(1,05,462)

तालिका 6 - मुख्य वास्तविकता के पूर्वानुमान का सार

मूल्यांकन दिनांक पर वित्तीय पूर्वानुमान:

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 12	31 मार्च 11
छूट दर (प्र.व)	8.70%	8.35%
वेतन वृद्धि (प्र.व)	7.00%	6.00%

(ख) छुट्टी का नकदीकरण:

पूरित अनुपस्थिति से होनेवाले व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि सं.5 या लेखाविधि सं.18 के तहत् संगत है, को छोड़कर ए.एस.15 (आर.) के पैरा 132 के अनुसार ऐसे कोई विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

13. पिछले अवधि के मदों (जमा एवं ऋण) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण	31-मार्च -2012 को समाप्त (₹)	31-मार्च -2011 को समाप्त (₹)
पिछले अवधि के मदों में जमा :		
क. पिछले वर्षों में परिकलित की गई लागत तथा व्यय को प्रतिवर्तित किया गया	88,22,481	
ख. पिछले वर्षों में ए.एफ.आर. (निवल) की लागत को प्रतिवर्तित किया गया	42,24,000	
ग. परिकलित की गई अधिक वेतन की वसूली की गई	1,513	
घ. विज्ञापन शुल्क को प्रतिवर्तित किया गया	15,000	
ङ. पिछले वर्षों से संबंधित वि.मु. का उतार-चढ़ाव	37,583	
च. पिछले वर्षों में परिकलित परामर्शिता आय (निवल) की लागत को प्रतिवर्तित किया गया	3,25,806	
छ. वाहन व्यय		300
ज. एसएससी की लागत को प्रतिवर्तित किया गया		13,02,958
झ. परामर्शिता आय		27,00,000
ञ. अधिक निर्यात मूल्य को प्रतिवर्तित किया गया		46,306
ट. व्यय को प्रतिवर्तित किया गया		2,000
ऋ व्यय की प्रतिपूर्ति		3,29,06,000
ड. एसएससी आय		8,75,165
क जोड [(क) से (ड)]	**1,34,26,383**	**3,78,32,729**
विवरण	**31-मार्च -2012 को समाप्त (₹)**	**31-मार्च -2011 को समाप्त (₹)**
पिछले अवधि की आय को नामे डाला गया		
i. अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क	81,367	
ii. पिछले वर्षों में परिकलित दण्ड स्वरूप ब्याज को प्रतिवर्तित किया गया	26,97,577	76,17,151
iii. दर एवं कर	28,61,813	
iv. यात्र व्यय को प्रतिवर्तित किया गया	4,31,527	12,44,261
v. पिछले वर्षों में परिकलित परामर्शिता आय को प्रतिवर्तित किया गया	3,96,429	14,33,029
vi. पिछले वर्षों में परिकलित अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार आय (निवल) को प्रतिवर्तित किया गया	31,33,611	49,91,853
vii. पिछले वर्षों में परिकलित अभिगम शुल्क आय (निवल) को प्रतिवर्तित किया गया	16,05,558	61,23,889
Viii. परिकलित निर्यात मूल्य को प्रतिवर्तित किया गया	1,33,448	
ix. बैंक प्रभार		3,023
x. विधि एवं वृतिक व्यय		10,000
xi. निर्यात आयोग		82,23,380
xii. अभिगम शुल्क की लागत		6,10,588
xiii. विदेशी विनिमय का उतार-चढ़ाव		29,81,736
xiv. पिछले वर्षों में परिकलित लागत के प्रतिवर्तन को प्रतिवर्तित किया गया		4,53,843
xv. एसएससी प्रतिवर्तन		88,34,686
xvi. अभिगम शुल्क का प्रतिवर्तन		17,53,528
ख जोड [(i) से (xvi)]	**1,13,41,330**	**4,42,80,967**
ग निवल जमा/ (ऋण) [क + ख]	**20,85,053**	**(64,48,238)**

14. ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के प्रमुख घटकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

	31-मार्च-2012 (₹) को	31-मार्च-2011 (₹) को
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
(i) संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	10,14,48,245	8,98,76,077
(ii) उपदान के लिए प्रावधान	2,01,138	1,71,769
(iii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	3,88,959	1,89,814
(iv) संचयित मूल्यह्रास	1,26,607	71,270
जोड़	**10,21,64,949**	**9,03,08,930**

15. लेखा संबंधी मानक "ए.एस. 18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ. वी.एस. हेगडे, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक एवं श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक, मुख्य प्रबंधन कार्मिक हैं। वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

16. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस. 28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि की कोई घटना नहीं है।

17. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है।

18. कम्पनी ने अधिकांश ग्राहकों से 31 मार्च, 2012 तक के लिए बकाया की पुष्टि करने का अनुरोध किया है तथा कुछ ग्राहकों से इस संबंध में प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई है।

19. अन्तरिक्ष विभाग को भुगतान की गई राशि तथा देय राशि के बीच समायोजन प्रगति पर है।

20. अन्तरिक्ष विभाग द्वारा कम्पनी को पट्टे पर दी गई भूमि पर निर्माणाधीन भवन से संबंधित ₹13,81,51,966 का प्रमुख कार्य प्रगति पर है।

21. अंकों को निकटवर्ती रूप में पूर्णांकित किया गया तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के अंकों को पुन:वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(पी.एस.वीरराघवन)
निदेशक

हस्ता/
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 30.08.2012

स्थान : बेंगलूर
दिनांक: 30.08.2012

नकद प्रवाह विवरण

आँकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
कर से पहले निवल लाभ		2,448,226,369		2,140,209,784
निम्न के लिए समायोजन:				
मूल्य ह्रास	969,045		1,223,759	
उपादान हेतु प्रावधान	102,776		44,247	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	627,255		103,151	
संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	42,081,318		27,208,918	
देयता जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं	(27,891,295)		-	
		15,889,009		28,580,075
		2,464,115,468		2,168,789,859
इसके लिए समायोजन:				
स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय पर हानि/लाभ	33,760		(15,350)	
बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	(55,900,269)		(32,342,120)	
विचलन				
बैंक से ब्याज की प्राप्ति	(986,868,968)		(620,334,036)	
एम.एफ. से प्रमुख लाभ	(57,780,000)		(88,049,588)	
एम.एफ. से लाभांश प्राप्तियाँ	(93,737,805)		(21,892,292)	
		(1,194,253,282)		(762,633,385)
		1,269,862,186		1,406,156,473
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ				
व्यापार देय वृद्धि	934,309,441		1,299,523,511	
देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि	784,032,453		1,205,826,646	
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(1,172,709,615)		(1,477,557,969)	
ऋण एवं पेशगियों में वृद्धि	(736,972,222)		(1,406,437,628)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		(191,339,943)		(378,645,440)
प्रचालन से जनित नकद		1,078,522,243		1,027,511,034
भुगतान किया गया आय कर		91,853,700		151,543,008
स्रोत पर काटा गया कर		852,679,773		661,399,019
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		**133,988,770**		**214,569,007**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(73,955,197)		(30,659,865)	

स्थायी परिसम्पत्तियों की हानि/लाभ	(33,760)		15,350	
बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	55,900,269		32,342,120	
बैंक से प्राप्त ब्याज	986,868,968		620,334,036	
एम.एफ. से पूँजीगत लाभ	57,780,000		88,049,588	
एम.एफ.से लाभांश प्राप्तियां	93,737,805		21,892,292	
निवेश में वृद्धि	369,035,232			
निवेश में कमी	-		293,340,035	
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज	(347,509,098)		(50,511,647)	
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद		**403,763,755**		**974,801,909**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
प्रदत्त लाभांश	(2,778,000,000)		(217,000,000)	
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(46,139,107)		(88,034,100)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद		**(323,939,107)**		**(305,034,100)**
नकद व नकद समान सम्पत्ति में निवल वृद्धि		**213,803,419**		**884,336,815**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समान सम्पत्ति		9,676,547,646		8,792,210,831
वर्ष के अंत में नकद व नकद समान सम्पत्ति		**9,890,351,065**		**9,676,547,646**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(पी.एस.वीरराघवन)
निदेशक

हस्ता/
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 30.08.2012

स्थान : बेंगलूर
दिनांक: 30.08.2012

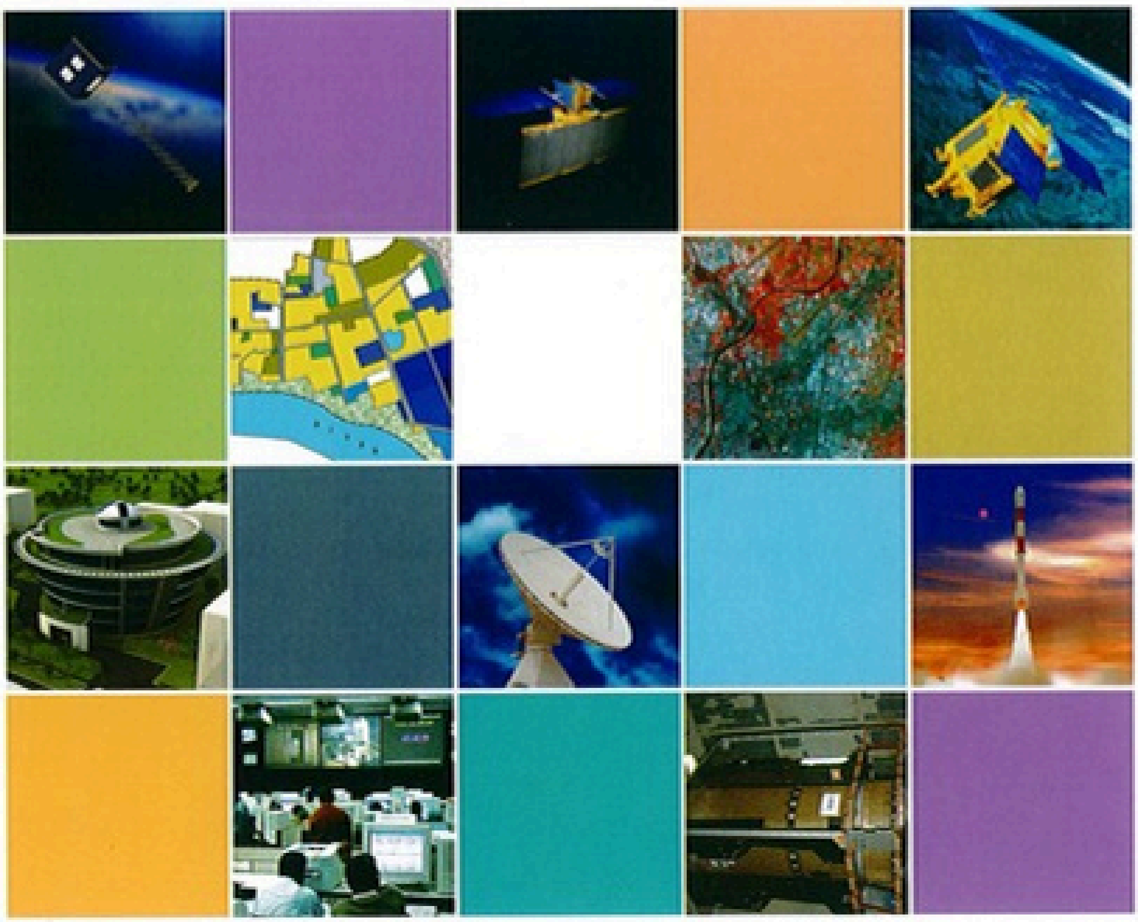

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

अन्तरिक्ष भवन,
न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूर - 560 231
दूरभाष: +91 80 2217 8302/31/11, फैक्स: +91 80 2217 8337
वेबसाइट: www.antrix.gov.in

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड